



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-298/2022

दिनांक- 10-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

किशोरी को अगवाकर भगा ले जाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 05.09.2022 को थाना रानी की सराय क्षेत्र की एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि 1.संदीप यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा० चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व उसके दोस्त दीपेश यादव पुत्र रमेश यादव व सुरेन्द्र यादव पुत्र बलिराम यादव द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को कहीं भगा ले गये है तथा पूर्व मे जान से मारने की धमकी दी गयी है, के सम्बन्ध मे मु०अ०सं० 287/22 धारा 363/366/506 भा०द०वि० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम संदीप यादव आदि 03 नफर पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी।
2. गिरफ्तारी की विवरण- उ०नि० अजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त 1. संदीप यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा० चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. दीपेश यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 10.09.2022 को समय करीब 12.25 बजे रूदरी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों का मा०न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 287/2022 धारा 363/366/506 भा०द०वि० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त –

1. संदीप यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा० चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. दीपेश यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० श्री अजय प्रताप सिंह, कां० सुनील कुमार यादव, म०कां० प्रतिभा तिवारी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –वादी श्री हरिश्चन्द्र यादव पुत्र मुसई यादव निवासी ग्राम हैदराबाद, थाना रौनापार , जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी वादी के लड़के उमेशचन्द को नौकरी दिलाने के नाम पर पचास हजार रुपया ट्रान्सफर अजय कुशवाहा पुत्र प्रेमचन्द्र कुशवाहा करने व एक लाख पचास हजार रुपया नकद (कुल दो लाख रुपये) दिया गया, अभियुक्तों ने फर्जी नियुक्ति पत्र भेजवाया गया व पैसा मांगने पर न दिया गया, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 111/2022 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि बनाम (1) धर्मेन्द्र पुत्र रामनिहोर निवासी भदौरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2.हरिश्चन्द्र राम पुत्र मुंशी राम निवासी सोन बुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3.प्रेमचन्द्र कुशवाहा पुत्र शंकर कुशवाहा निवासी बैरागी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर के पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान धारा 419 भादवि की घटोतरी की गई।
2. गिरफ्तारी का विवरण..... उ०नि० राजेन्द्र कुमार मय हमराह फोर्स के आज दिनांक 10.09.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. देवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र राम निहोर सा० भदौरा ता० नैनीजोर थाना रौनापार आजमगढ़ 2. हरिश्चन्द्र राम पुत्र मुंशी राम सा० सोनबुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को बघावर तिराहा से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा० न्यायालय भेजा गया।
3. पंजीकृत अभियोग-
 1. मु०अ०सं० 111/22 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त
5. गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-
 1. देवेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र राम निहोर सा० भदौरा ता० नैनीजोर थाना रौनापार आजमगढ़
 2. हरिश्चन्द्र राम पुत्र मुंशी राम सा० सोनबुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
6. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
 1. थानाध्यक्ष श्री कौशल कुमार पाठक उ०नि० श्री राजेन्द्र कुमार का० अफजल अंसारी का० अमितेश कुमार रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

ट्रक की लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण – दिनांक- 03.09.2022 को वादी ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि विपक्षी 1. सभाजीत उर्फ गोरख यादव पुत्र विजयचन्द उर्फ मिठाईलाल यादव 2. प्रवीण यादव उर्फ करिया पुत्र मेवालाल यादव नि0गण दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने सुबह 03.15 बजे ट्रक संख्या UP 50 BT 8619 को ट्रक ड्राइवर धर्मेन्द्र से रानी की सराय से डरा धमका कर लेकर चले गये, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 286/2022 धारा 392/506 भादवि0 थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 10.09.2022 को निरीक्षक निशांत जमा खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सभाजीत उर्फ गोरख यादव पुत्र विजयचन्द उर्फ मिठाईलाल यादव 2. प्रवीण यादव उर्फ करिया पुत्र मेवालाल यादव नि0गण दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को चेक पोस्ट पास से समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 286/2022 धारा 392/506 भादवि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 286/2022 धारा 392/506 भादवि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सभाजीत उर्फ गोरख यादव पुत्र विजयचन्द उर्फ मिठाईलाल यादव
2. प्रवीण यादव उर्फ करिया पुत्र मेवालाल यादव नि0गण दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. निरीक्षक श्री निशांत जमा खाँ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रमोद यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. का0 सुनील यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना पवई

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 07.09.2022 को थाना पवई क्षेत्र की एक किशोरी ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि किशोरी अपने घर के बगल में गांव की दुकान पर समान लेने गयी, विपक्षी सीबू खाँ पुत्र साहेआलम निवासी दावनपारा थाना पवई जनपद आमजगढ़ द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी की गयी व विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी दिया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-268/22 धारा 354/323/504/506 भादवि 7/8 पास्को एक्ट बनाम सीबू खाँ पुत्र साहेआलम निवासी दावनपारा थाना पवई जनपद आमजगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा दिनांक 10.9.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सीबू खाँ पुत्र साहेआलम निवासी दावनपारा थाना पवई जनपद आमजगढ़ को समय करीब 09.35 बजे बागबहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 268/2022 धारा 354/323/504/506 भादवि 7/8 पास्को एक्ट थाना पवई जनपद आमजगढ़

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त:—

सीबू खाँ पुत्र साहेआलम निवासी दावनपारा थाना पवई जनपद आमजगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा. का0 विकास यादव थाना पवई जनपद आमजगढ़